FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नारायणराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी शेखावतपुरा तहसील नांवा जिला नागौर वगैरह		1. खींवाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी शेखावतपुरा तहसील नांवा जिला नागौर वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना संख्या 26 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.06.2020	वकील प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी नांवा द्वारा मुकदमा संख्या 53/2019 खींवाराम बनाम राज. सरकार वगैरह अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रकरण में पारित दिनांक 28.08.2019 को पारित निर्णय के विरूद्ध पेश कर प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी के कब्जे में दखल करने, रहन, बेचान, मुन्तकिल एवं रिकार्ड में परिवर्तन करने से ताफैसला अपील पाबन्द करने हेतु पेश किया गया। धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर को है। इस संबंध में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अजमेर में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय सेवानिवृत हो चुके है, उनका पदरिक्त है तथा उनके न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार भी किसी अन्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर स्थगन आदेश पारित नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का औचित्य ही नहीं रह जावेगा। एवं स्थगन आदेश जारी नहीं होने पर अनावश्यक और लिटिगेशन बढ़ कर मामलो और ज्यादा पैचिदा होना की पूरी पूरी संभावना होने का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी में मौखित बहस में अग्रिम आदेश तक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय जैर अपील दिनांक 28.08.2019 में वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की अग्रिम आदेशो तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण को पाबन्द किया जाकर पत्रावलियां अग्रिम आदेश एवं सुनवाई हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी/अपीलान्ट्स् द्वारा दिये किये गये कथन पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। यह सही है कि वर्तमान में संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है एवं अन्य किसी अधिकारी के पास उक्त न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ नहीं है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर भी वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशानुसार कोविड–19 महामारी के संबंध में नागौर में कार्यरत है। ऐसी स्थिति प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुऐ न्यायहित में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय जैर अपील दिनांक 28.08.2019 में वर्णित वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की अग्रिम आदेशो तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण को पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं स्थगन पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर अग्रिम आदेश एवं सुनवाई हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावललिया फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर,नागौर	

424

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.06.22 15:45:24 IST
Reason: SelfAttested